सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 161/2014

मोसमी बाई पत्नि श्री सूरजमल जाति तेली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादनी

♠ बनाम ♠

1. नरेश कुमार } पुत्रान छीतरलाल जाति तेली निवासी भंवर रोड सुल्तानपुर तहसील
2. सुरेश कुमार } दीगोद जिला कोटा
3. रामेश्वर पुत्र बजरंगलाल जाति तेली निवासी सब्जीमण्डी की टेक सीसवाली तहसील मांगरोल
4. मांगीलाल पुत्र बजरंगलाल जाति तेली निवासी रायथल रोड गोपालपुरा सीसवाली
5. मनभर बाई पत्नि मुकेश जाति तेली निवासी सब्जीमण्डी के पास सीसवाली तह0 मांगरोल
6. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादनी : श्री दया कृष्ण धाकड
वकील प्रतिवादीगण : श्री चन्द्र प्रकाश पारेता

निर्णय दिनांक : 28.01.2019

दायरा दिनांक: 07.11.2014

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है उक्त उनवान के प्रकरण में सुनाये गये निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 06.12.2018 का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है कि वादनी एवं प्रतिवादीगणों की शामलती खातेदारी की आराजी हाल खसरा नं0 4684 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 4688 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 4689 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 4690 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 4691 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 4692 रकबा 3.33 है0, खसरा नं0 4693 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 4694 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 4700 रकबा 2.24 हे0, खसरा नं0 4701 रकबा 0.08 है0 कुल किता 10 रकबा 7.95 है0 ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है जिसमें वादनी का हिस्सा 1/8 निहित है। वादनी एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य है, एवं प्रतिवादी नं0 5 ने प्रतिवादी नं0 2 व 3 से आराजी कय की है, वादीन उक्त वर्णित आराजी की हिस्सा 1/8 की सहखातेदार है। एवं पारिवारिक बंटवारे अनुसार अपने हिस्से पर काबिज है व काबिज अनुसार अपने हिस्से पर काश्त कर रही है। वादनी के खातेदारी की आराजी पर आये दिन प्रतिवादी नं0 4 कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करता रहता है, जिससे वादनी को काश्त करने में व्यवधान पैदा होता है। इसलिए वादनी प्रतिवादीगणो के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारणी है। साथ ही उक्त सम्पूर्ण आराजी में हिस्सा 1/8 को अपने पृथक खाते दर्ज करवाने की अधिकारणी है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि ग्राम सीसवाली की आराजी हाल

खसरा नं0 4684 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 4688 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 4689 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 4690 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 4691 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 4692 रकबा 3.33 है0, खसरा नं0 4693 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 4694 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 4700 रकबा 2.24 हे0, खसरा नं0 4701 रकबा 0.08 है0 कुल किता 10 रकबा 7.95 है0 में वादनी का हिस्स 1/8 पृथक राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर लगान व नक्शा ट्रेस भी पृथक दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 07.11.2014 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश पारेता ने दिनांक 19.12.2014 को वकालत नामा प्रस्तुत किया। लेकिन जवाब दावा प्रस्तुत नही किया हैं। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नही किये जाने से दिनांक 08.10.2018 को अवसर जवाब समाप्त किया जाकर साक्ष्य वादी में पत्रावली प्रस्तुत हुयी। दिनांक 05.12.2018 को साक्ष्य वादी में वादनी मौसमी बाई पत्नि सूरजमल निवासी सीसवाली के बयान करवाये। जो शामिल फायल है। वादनी ने बयानो में उन्ही तथ्यों का कथन किया है जिनका उसके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में दिनांक 06.12.2018 को बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गयी। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया गया जिनका उनके द्वारा अपने वादपत्र व गवाह के बयान में अंकन किया गया है। अतः मुताबिक वाद पत्र, बयान गवाह वादी एवं बहस की रोशनी में वाद वादी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार मांगरोल को आराजी वाके ग्राम सीसवाली की आराजी हाल खसरा नं0 4684 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 4688 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 4689 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 4690 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 4691 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 4692 रकबा 3.33 है0, खसरा नं0 4693 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 4694 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 4700 रकबा 2.24 हे0, खसरा नं0 4701 रकबा 0.08 है0 कुल किता 10 रकबा 7.95 है0 में मौके पर कब्जे अनुसार वादनी का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादीगण के हिस्से का निर्धारण कर बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मांगरोल द्वारा पत्र क्रमांक/भू0अ0/2019/11 दिनांक 01.01. 2019 से बंटवारा स्कीम प्रस्तुत की। जो शामिल फाईल किया गया एवं पत्रादि का अवलोकन किया गया। पक्षकारो की सहमति के आधार पर भूमि का विभाजन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव निम्न प्रकार है:—

1. मोसमी बाई पत्नि सूरजमल जाति तेली सा0 देह खातेदार को ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नं0 4689 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी तृतीय लगान 1.25, खसरा नं0 4691 रकबा 0.74 है0, किस्म बारानी तृतीय लगान 3.70।
2. नरेश कुमार, सुरेश कुमार पुत्र छीतरलाल हि0 106/696 रामेश्वर पुत्र बजरंगलाल हि0 166/696 मांगीलाल पुत्र बजरंगलाल हि0 265/696 मनभर बाई पत्नि मुकेश हि0 159/696 जाति तेली सा0 देह रहन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सीसवाली हि0 मांगीलाल व मनभर बाई का, को ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नं0 4684 रकबा 0.34 है0 किस्म बारानी तृतीय लगान 1.70, खसरा नं0 4688 रकबा 0.40 है0 किस्म गै0 मु0 नाली लगान 1.70, खसरा नं0 4689 रकबा 0.08 है0 किस्म बारानी तृतीय लगान 0.40, खसरा नं0 4692 रकबा 3.33 है0 किस्म बारानी तृतीय लगान 16. 65, खसरा नं0 4693 रकबा 0.30 है0 किस्म बारानी तृतीय लगान 1.50, खसरा नं0 4694 रकबा 0. 19 है0 किस्म बारानी तृतीय लगान 0.95, खसरा नं0 4700 रकबा 2.24 है0 किस्म बारानी तृतीय लगान 11.20, खसरा नं0 4701 रकबा 0.08 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता।

अतः उपरोक्तानुसार प्रत्येक सहखातेदारान का खाता तन्हा रूप से पृथक किया जाता है। पृथक लगान कायम किया जाकर मुताबिक नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर खातेदारों के दर्ज किया जावें। तदनुसार फाईनल डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सुना